निजी स्कूल शिक्षकों के कम वेतन पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी

शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट तलब

भास्कर न्यूज | जोधपुर

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ ने निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के कम वेतन पर हैरानी जताई है।

साथ ही शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के संबंध में चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। खंडपीठ ने यह आदेश सेंट्रल एकेडमी स्कूल बीकानेर में टीचर सुनीता भटनागर की अवमानना याचिका पर सुनवाई के तहत दिए। साथ ही इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। भटनागर को प्रतिमाह साढ़े छह हजार रु. वेतन मिलने की जानकारी हुई तो खंडपीठ ने आश्चर्य जताया। जब उन्हें टीचर के एमए-बीएड की डिग्रीधारक होने के बारे में बताया गया कि तो और ज्यादा हैरत हुई। शेष | पेज 6

निजी स्कूल शिक्षकों...

खंडपीठ ने इतने कम वेतन को अनुच्छेद 23 का सीधा उल्लंघन बताया। अदालत ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से यह भी पूछा है कि सरकार निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को लेकर कितना हस्तक्षेप रखती है? प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत दत्त ने पैरवी की।

allowed extension upto the age of 65 years, provided they are physically fit as per certificate of the Principal Medical Officer or Chief Medical Officer of the district and produce a certificate from the Government in General Administration Department of their being political sufferers.

(3) A retired government servant shall not be employed by any educational institutions in any capacity.

(4) The orders passed for extension of service by Management Committee shall be submitted to grant sanctioning authority alongwith the following documents at the time of the finalisation of grant:-

- (a) Application of the employee as specified in Appendix-XIII.
- (b) Medical Certificate of a Government Medical Officer in the prescribed form.
- (c) A copy of the resolution passed by the Management Committee.
- (d) A statement showing examination results of his pupils of atleast last three years in the case of teachers.
- (e) Certificate of satisfactory service rendered by the employee.
- (f) Certificate regarding other outstanding achievements of the employees, if any.

(5) The institutions shall be allowed to receive the usual grant-in-aid in respect of the expenditure incurred for such sanctioned period of extension.

परिपत्र क्रमांक प-15 (1) शिक्षा-5/94 पार्ट I दिनांक 29.7.1998 [आदेश संख्या 60]

विषय :— मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में

(1) कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते इत्यादि,

(2) फीस लेने के संबंध में वरतु-स्थिति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मान्यता के लिए आवेदन-पत्र की जांच करते समय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 1993 के नियम-4 की सपठित परिशिष्ट-2 के आइटम संख्या 7 व 14 के क्रम में—

संस्थाओं द्वारा अपने शिक्षकों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों तथा ऐसी संस्थाओं द्वारा ली जा रही फीस के संबंध में भ्रान्ति है एवं इस भ्रान्तिवश इनके मान्यता प्रकरण गलत कारणों से अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:-

गैर सरकारी, गैर अनुदानित संस्थाओं में शिक्षकों तथा कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते इत्यादि से संबंधित विषय :-

इस संबंध में परिशिष्ट-2 के आइटम संख्या 14 में निम्न व्यवस्था है:-

14. वेतन भत्ते:- (क) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय — संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार के नियमों के अनुसार वेतन, महँगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

(ख) महाविद्यालय — महाविद्यालय के शैक्षणिक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देना आवश्यक है। (संस्था को अनापत्ति-प्रमाण पत्र देने से पहले इस विषय के वचन बंध) देना आवश्यक होगा।

नोट :- कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य चैक से महीने की समाप्ति के पश्चात् अगले माह की 5 तारीख से पूर्व संदाय करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त प्रावधान को अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के लिए नियम 34 से विभेद किया जाना आवश्यक है। नियम 34 निम्नानुसार है:-

34. वेतन और भत्ते :- सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा विहित वेतनमान और भत्तों से कम नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण :- "भत्ते" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता।

उपरोक्त दोनों प्रावधानों को एक साथ करने से स्पष्ट होगा कि अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए वेतनमान, महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए यह वैधानिक रूप से प्रावधित कर दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान व भत्ते सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के वैसे ही प्रवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान व भत्तों से कम नहीं होंगे, लेकिन गैर सरकारी, गैर अनुदानित संस्थाओं के लिए यह शर्त नहीं रखी गई है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित संस्थाओं के लिए मान्यता की शर्तों के रूप में यही व्यवस्था की गई है, कि उनके लिए सरकार के नियमों के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता एवं भविष्य निधि सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाए हैं। अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर सरकारी, गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियों के समान वेतन, महंगाई भत्ता व भविष्य निधि सुविधाएं दिया जाना अनिवार्य नहीं है ऐसी संस्था व उनके शिक्षक तथा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक वेतन, महंगाई भत्ते इत्यादि के संबंध में आपसी अनुबन्ध के आधार पर अपने वेतन तथा भत्ते तय करने के लिए स्वतन्त्र हैं।